भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 321

<u>बुधवार, 3 फरवरी, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

उत्तर पूर्व औद्योगिक विकास योजना

321. श्री कृपानाथ मल्लाहः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तर पूर्व औद्योगिक विकास योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान असम में इस योजना के तहत स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक तय किए गए लक्ष्य और प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सोम प्रकाश)

(क): पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास योजना (एनईआईडीएस) जो विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों को सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ लेने के लिए कवर करती है, की प्रमुख विशेषताएँ निम्नानुसार हैं:

1.	क्रेडिट तक पहुँच के लिए केन्द्रीय पूँजी निवेश प्रोत्साहन (सीसीआईआईएसी)	5 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा के साथ संयंत्र और मशीनरी में निवेश का 30%
2.	केन्द्रीय ब्याज प्रोत्साहन (सीआईआई)	वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन शुरू होने की तिथि से प्रथम पाँच वर्षों के लिए अनुसूचित बैंकों या केंद्रीय/राज्य की वित्तीय संस्थाओं द्वारा अग्रिम कार्यशील पूँजी ऋण पर 3% । प्रोत्साहन प्रतिबंधित होगा ताकि यह सुनिश्चित हो

		कि छूट प्राप्त ब्याज दर ऋणदाता संस्था के मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फ़ंड बेस्ड लेंडिंग (एमसीएलआर) से कम ना हो।
3.	केन्द्रीय व्यापाक बीमा प्रोत्साहन (सीसीआईआई)	वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तिथि से पाँच वर्ष के लिए भवन और संयंत्र तथा मशीनरी के बीमा की 100% प्रतिपूर्ति।
4.	आय कर (आईटी) प्रतिपूर्ति	वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने वाले वर्ष सहित पहले पाँच वर्ष के लिए आय कर में केंद्र के हिस्से की प्रतिपूर्ति।
5.	वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रतिपूर्ति	पाँच वर्ष के लिए सीजीएसटी और आईजीएसटी के केंद्र सरकार के हिस्से की सीमा तक प्रतिपूर्ति।
6.	रोज़गार प्रोत्साहन (ईआई)	प्रधान मंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) में कार्मिक पेंशन योजना (ईपीएस) में नियोक्ता के अंशदान के 8.33% सरकार द्वारा वहन करने के अतिरिक्त कार्मिक भविष्य निधि (ईपीएफ़) में नियोक्ता के अंशदान का 3.67%।
7.	परिवहन प्रोत्साहन (टीआई)	• औद्योगिक इकाई के नजदीकी रेलवे स्टेशन से खरीददार के स्थान के नज़दीकी रेलवे स्टेशन तक तैयार माल की आवाजाही के लिए परिवहन लागत का रेलवे/रेलवे पीएसयू द्वारा दिये जाने वाले प्रोत्साहन का 20 %। • औद्योगिक इकाई के स्थान के नजदीकी बन्दरगाह से खरीददार के स्थान के नजदीकी बंदरगाह तक भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से परिवहन के लिए तैयार माल की आवाजाही हेतु परिवहन लागत का 20 %। • ख़राब होने वाली वस्तुओं (आईएटीए द्वारा परिभाषित) के उत्पादन के स्थान के नजदीकी हवाई अड्डे से देश के भीतर किसी भी हवाई अड्डे (जो खरीददार के स्थान के नज़दीक हो) तक परिवहन के हवाई भाड़े की लागत का 33%।

स्कीम के सभी घटकों से प्राप्त कुल लाभ संयंत्र और मशीनरी में कुल निवेश तक सीमित है और इसकी अधिकतम सीमा 200.00 करोड़ रु प्रति इकाई के अध्यधीन होगी।

(ख) और (ग): पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास योजना (एनईआईडीएस), 2017 दिनांक 12.04.2018 को अधिसूचित की गई थी तथा दिनांक 01.04.2017 से पाँच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी हुई। 2019-20 की अवधि के लिए 1.00 करोड़ रु की सांकेतिक राशि आवंटित की गई थी तथा यह संपूर्ण राशि असम राज्य की औद्योगिक इकाइयों के लिए उपयोग की गई थी। वित्तीय वर्ष 2020-21 में, एनईआईडीएस 2017 के तहत बीई चरण पर 100.00 करोड़ रु का बजटीय आबंटन किया गया। फिलहाल, असम सरकार के राज्य नोडल अधिकारी द्वारा 215 इकाइयों की पंजीकरण के लिए सिफारिश की गई है जिनमें से 177 इकाइयों को भारत सरकार द्वारा पहले ही पंजीकरण प्रदान कर दिया गया है। इस योजना के तहत इन 215 इकाइयों द्वारा असम राज्य में प्रस्तावित निवेश 1381.51 करोड़ रु है। अब तक, असम सरकार की राज्य स्तरीय समिति ने असम की उन 45 औद्योगिक इकाइयों, जिन्होंने अपना वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ कर दिया है और एनईआईडीएस, 2017 के अंतर्गत अपने दावे दायर किए हैं, के लिए 36.03 करोड़ रु. की राशि के प्रतिपूर्ति दावों की सिफारिश की है। वर्तमान में, ये दावे स्वतंत्र निरीक्षण एजेंसी के पूर्व-जांच के अधीन हैं।

*****